

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 2.1.2.4; पृष्ठ 26)

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 'राजस्थान के किसान की सिंचाई प्रणाली में भागीदारी नियम, 2000' में किये जाने वाले संशोधनों की सूची

- नर्मदा परियोजना में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के नियमों का गठन 'राजस्थान के किसानों की सिंचाई प्रणाली में भागीदारी अधिनियम, 2000' के नियम 3 के अनुसार नहीं किया जा सकता क्योंकि डिग्गी से पानी के वितरण के प्रबन्धन के लिए प्रत्येक 'डिग्गी' के लिए एक जल उपभोक्ता समिति होगी। जल उपभोक्ता समिति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन एक चक होगा जिसमें 'डिग्गी' स्थित होगी।
- इसके अलावा, प्रारम्भिक स्तर पर जल उपभोक्ता समिति, वहां पूरे गांव क्षेत्र के जल उपभोक्ता समितियों की समिति हो सकती है जहां प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति का कम से कम एक प्रतिनिधि सदस्य होगा। यह समिति गांव के प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति के हितों की देखभाल करेगी तथा प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति इस समिति के लिये मतदाताओं के एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में कार्य करेगी। इसके बाद वितरिका तथा परियोजना समिति अपने पहले से परिभाषित कार्यों के साथ होगी। अधिकारों, जिम्मेदारियों और जल उपभोक्ता समिति के कामकाज तथा गांव की जल उपभोक्ता समितियों के लिए तौर तरीकों पर कार्य करना होगा।
- नियम 50 को परियोजना में जल वितरण के पैटर्न के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। इस प्रणाली में वितरिका समिति का गठन होने तक डिग्गी से पूर्व खालों की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की होगी। उसके पश्चात वितरिका स्तर तक मरम्मत तथा संधारण की भूमिका वितरिका समिति द्वारा ली जा सकती है।
- सिंचाई विभाग के अधिकारियों से लगातार सहायता की सिफारिश की गई है। किसानों ने कहा कि विभाग के प्रतिनिधि (सहायक अभियन्ता स्तर) जल उपभोक्ता समिति के साथ समिति मितिंग में मौजूद होने चाहिये। यह धन संग्रह और बकाएदारों को सजा भी सुगम करेगी।
- जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्ध समिति में सभी जातियों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सदभावना की दृष्टि से किसानों से यह सुझाव आया है।
- इनाम तथा सजा का सिस्टम शुरू किया जाना चाहिए। बकाएदारों को दंडित करने के लिए स्पष्ट मानदंड होने चाहिए। इस सम्बन्ध में जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध समिति के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिये। इनाम अथवा सजा या तो नकद प्रोत्साहन या हतोत्साहित (दंड) के रूप में प्रशंसा या अभाव के रूप में हो सकती है।

- जब जरूरत हो तब जल उपभोक्ता समिति के लिए सभी प्रकृति के विचार-विमर्श के लिए एक परामर्श समिति उपलब्ध होनी चाहिये। समिति में विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, कृषि, पर्यावरण, कानूनी सलाहकार और सम्बन्धित विशेषज्ञ होने चाहिये।
- परिणाम पाने के लिए जल उपभोक्ता समिति में क्षमता निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परियोजनाओं में अधिकारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- पानी के आवंटन के लिए स्पष्ट मानदण्डों को परिभाषित किया जाना चाहिए। विचार-विमर्श के दौरान तीन प्रकार के सुझाव आगे आए:
 - i. चूंकि पानी सीमित है। बड़ा अथवा छोटा किसान, सभी को बराबर पानी का आवंटन मिलना चाहिए। यह सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।
 - ii. एक बारी में बराबर पानी दिया जा सकता है और उसके बाद जरूरत के हिसाब से शेष पानी वितरित किया जाना चाहिए।
 - iii. भूमि के आकार के हिसाब से जल आवंटित किया जाना चाहिए।
- जैसा कि महिला किसानों के रूप में संख्या सीमित है, वहां जल उपभोक्ता समिति के प्रबन्ध समिति में प्रतिनिधित्व से वंचित रहने की सम्भावना है। पंचायत प्रणाली में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए महिला किसानों के आरक्षण को नियमों में शामिल करने की सिफारिश की गई।
- इसी प्रकार, छोटे किसानों को आरक्षण, उनके लिए उचित सौदा होगा।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 2.1.4.2; पृष्ठ 31)

उन मामलों कि सूची जिनमें कलाज 5 के अधीन समय का विस्तार नहीं चाहा गया अथवा प्रदान किया गया तथा कलाज 2 के अधीन कार्यवाही नहीं की गयी

क्र. स.	कार्य का नाम	प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि	समाप्त करने की निर्धारित तिथि	कार्य की स्थिति	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	विलम्ब के कारण
1.	हलिबाव माईनर, सब-माईनर किमी 0.000 से 7.600, हलिबाव "अ" सब-माईनर किमी 0.000 से 1.000 तथा "ब" किमी 0.000 से 1.425 ऑफ टेकिंग फ्रॉम किमी 3.900 लेफ्ट फ्रॉम विरावा माईनर पर मिट्टी की खुदाई एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, डिग्गी, पम्परूम, सम्पवेल तथा बाउंडरी वाल का निर्माण कार्य	14.12.2012	13.12.2013	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. द्वारा 31.08.2014 तक समय का विस्तार प्रदान किया गया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।	खड़ी फसलें, जीआरईएफ से रोड कटिंग के लिए अनुमति चाही गयी, भूमि का मुआवजा, जनोपयोगी सेवा के हटाने पर रोक।
2.	मदराई लिफ्ट वितरिका ऑफ टेकिंग फ्रॉम 55.600 किमी की विभिन्न माईनर, सब-माईनर की मिट्टी की खुदाई, एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, डिग्गी, पम्परूम, सम्पवेल का निर्माण कार्य तथा अरनियाली लिफ्ट माईनर ऑफ टेकिंग फ्रॉम 6.310 किमी पर एचडीपीई पाइप के वितरण नेटवर्क मय विद्युत जनित मोटर एसेसरीज सहित की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा प्रवर्तन करना।	08.07.2012	07.01.2014	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. द्वारा 30.09.2014 तक समय का विस्तार प्रस्तावित किया गया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।	भूमि का अधिग्रहण खड़ी फसले, सामग्री जैसे बजरी की आपूर्ति
3.	सनावड़ा खुर्द माईनर ऑफ टेकिंग फ्रॉम डांगरिया माईनर किमी 0.050 पर मिट्टी की खुदाई, एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, डिग्गी, पम्परूम, सम्पवेल का निर्माण कार्य तथा एनडीपीई पाइप मय विद्युत जनित मोटर की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा प्रवर्तन करना	17.08.2013	16.08.2014	कार्य प्रगतिरत	-	-
अ.अ. खण्ड-II, सांचोर						
4.	रातोड़ा वितरिका की रानोदर माइनर के सिंचित क्षेत्र के अर्द्ध-स्थाई सिप्रंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाइप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क (मुख्य तथा उप. मुख्य) को प्रवर्तन करना	08.08.2008	07.12.2008	संवेदक द्वारा कार्य छोड़ दिया गया	-	संवेदक ने कार्य रोके रखा लेकिन अनुबन्ध के खण्ड 2 तथा 3(सी) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

5.	नर्मदा मुख्य नहर के ऑफ टेकिंग 44.225 पर रातोडा वितरिका की माइनर तथा सब-माइनर पर मिट्टी की खुदाई, पक्का स्ट्रक्चर, पम्परूम, सम्पवेल, डिग्गी का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप मय विद्युत जनित मोटर की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क (मुख्य तथा उप मुख्य) को प्रवर्तन करना, टर्न की आधार पर मैकेनिकल कार्य की डिजाईनिंग तथा ले आउट सहित।	08.07.2012	07.01.2014	कार्य प्रगतिरत	-	-
अ.अ. खण्ड-III, सांचौर						
6.	नर्मदा मुख्य नहर के ऑफ टेकिंग 7.88 पर एस एल डी के 34.000 किमी तक विभिन्न माइनर, सब-माइनर पर एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क (मुख्य तथा उप मुख्य) को प्रवर्तन करना, टर्न-की आधार पर मैकेनिकल कार्य की डिजाईनिंग तथा ले आउट सहित	17.03.2010	17.03.2012	कार्य प्रगतिरत	आवेदन किया गया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।	खडी फसले, चौरा सिस्टम के पम्पिंग हाउस का निर्माण नहीं होना, पम्पिंग हाउस का विद्युतीकरण नहीं होना
अ.अ. खण्ड-V, सांचौर						
7.	भीमगुडा वितरिका ऑफ टेकिंग फ्रॉम 74.400 नर्मदा मुख्य नहर की सुराचन्द माईनर तथा सब-माईनर पर मिट्टी की खुदाई, पक्का स्ट्रक्चर, पम्प रुम, सम्प वेल, डिग्गी का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेट वर्क प्रवर्तन करना विद्युत जनित मोटर सहित।	04.03.2011	03.03.2012	कार्य प्रगतिरत	आवेदन किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	अत्यधिक वर्षा के कारण खेत पानी से भर गये।
8.	नर्मदा मुख्य नहर के भीमगुडा वितरिका के ऑफ टेकिंग 5.375 से पानोरिया लिफ्ट वितरिका के अन्य माईनर/सब-माईनर तथा पटेल माईनर पर मिट्टी की खुदाई, एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, पम्प रुम, सम्प वेल, डिग्गी, बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेट वर्क प्रवर्तन करना विद्युत जनित मोटर सहित।	01.10.2011	30.09.2013	कार्य प्रगतिरत	आवेदन किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	-
9.	नर्मदा मुख्य नहर के भीमगुडा वितरिका के ऑफ टेकिंग 5.375 से पानोरिया लिफ्ट वितरिका के अन्य माईनर/सब-माईनर पर मिट्टी की खुदाई, पक्का स्ट्रक्चर, एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पम्प रुम, सम्प वेल, डिग्गी, बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेट वर्क प्रवर्तन करना विद्युत जनित मोटर सहित।	02.10.2011	01.10.2013	कार्य प्रगतिरत	आवेदन किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	-

10.	नर्मदा मुख्य नहर के भीमगुडा वितरिका के ऑफ टेकिंग 5.375 से पानोरिया लिफ्ट वितरिका के आखा, ओगला, दुधवासन माईनर पर मिट्टी की खुदाई, पक्का स्ट्रक्चर, एकल पीसीसी ब्लॉक लाइनिंग, पम्प रुम, सम्प वेल, डिग्गी, बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोडना, परीक्षण तथा वितरण नेट वर्क प्रर्वतन करना विद्युत जनित मोटर सहित।	21.07.2012	20.01.2014	कार्य प्रगतिरत	आवेदन किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	ग्रेफ सड़क के स्ट्रक्चर में परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित न्यायालय में विवाद, खड़ी फसलें
11.	नर्मदा मुख्य नहर के भीमगुडा वितरिका के ऑफ टेकिंग 5.375 (आर) से पानोरिया लिफ्ट वितरिका के आखा नहर माईनर पर मिट्टी की खुदाई, पक्का स्ट्रक्चर, एकल पीसीसी ब्लॉक लाइनिंग, पम्प रुम, सम्प वेल, डिग्गी, बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोडना, परीक्षण तथा वितरण नेट वर्क प्रर्वतन करना विद्युत जनित मोटर सहित ।	19.07.2013	18.07.2014	कार्य प्रगतिरत	आवेदन किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	किसानों को मुआवजे के भुगतान में देरी, खड़ी फसलें
अ.अ. खण्ड-I, सांचौर						
12.	नर्मदा मुख्य नहर के वांक वितरिका चक वीएनके 3 (आर) किमी 4.625 से चक 5(एल), किमी 5.750 भदवाल माइनर चक बीएचडब्ल्यू 1(एल) से बीएचडब्ल्यू से बीएचडब्ल्यू 10(टी) तथा नया माइनर चक नया 1(एल) से नया 5(टी) कुल 18 चक के सिंचित क्षेत्र के लिए अर्द्ध-स्थायी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोडना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रर्वतन करना।	05.08.2007	04.11.2007	कार्य प्रगतिरत	आवेदन किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	खड़ी फसलें, सिविल कार्य पूर्ण नहीं
13.	नर्मदा मुख्य नहर के इसरोल वितरिका, सिवारा माईनर चक एस डब्ल्यू डी 1(आर) से एस डब्ल्यू डी 8 तथा पालडी माईनर चक पीएलडी 1 से पीएलडी 7 के सिंचित क्षेत्र के लिए अर्द्ध-स्थायी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोडना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रर्वतन करना।	28.12.2007	27.06.2008	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. ने क्लाज 32 के अन्तर्गत कार्य विड़ा करने तथा क्लाज 3(सी) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए अनुदासित किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी।	-
14.	नर्मदा मुख्य नहर के इसरोल वितरिका सिस्टम के इसरोल माइनर तथा इसरोल माइनर 'ए','बी' तथा 'सी' तथा इसरोल वितरिका चक 1 से 16 कुल चक-40 तथा 4886 है. के सिंचित क्षेत्र के लिए अर्द्ध-स्थायी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोडना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रर्वतन करना।	31.07.2008	30.01.2009	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. ने सक्षम प्राधिकारी को समय की वृद्धि के लिये मामला भेजा लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय का विस्तार स्वीकृत नहीं किया।	खड़ी फसलें, डिग्गी पर विद्युत कनेक्शन नहीं होना

15.	नर्मदा मुख्य नहर के वांक वितरिका सिस्टम के वांक माइनर तथा भुआना तथा वांक वितरिका चक वीएनके 6 से 31 (आर) कुल चक 49 व 4951.28 है. के सिंचित क्षेत्र के लिए अर्द्ध-स्थायी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रवर्तन करना।	31.07.2008	30.01.2009	कार्य प्रगतिरत	मु.अ. ने दिनांक 05.06.2014 विस्तार की कार्यकारी स्वीकृति प्रदान की लेकिन कार्य प्रगतिरत है।	खडी फसलें, वांक वितरिका में सिविल कार्य पूर्ण नहीं
16.	नर्मदा मुख्य नहर के 16.00 किमी पर ऑफ टेकिंग पर बाम्बी माइनर, बर्बाला माइनर, जेथा माइनर, लालजी माइनर, जान्वी माइनर कुल चक 81 तथा सीसीए 8278.71 है. के सिंचित क्षेत्र के लिए विद्युत जनित मोटर क्षैतिज अपकेन्द्री मोनो ब्लोक पम्पसेट सहित की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा प्रवर्तन करना, टर्न की आधार पर।	03.12.2012	02.06.2012	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. ने समय का विस्तार प्रकरण प्रस्तुत किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	जल उपभोक्ता समिति के चुनाव नहीं होना, विद्युत कनेक्शन नहीं होना।
17.	नर्मदा मुख्य नहर के बालेरा वितरिका के अकोडा तथा धीगपुरा माइनर के सिंचित क्षेत्र के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रवर्तन तथा विद्युत जनित मोटर क्षैतिज अपकेन्द्री मोनो ब्लोक पम्पसेट सहित।	21.02.2010	20.11.2010	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. ने समय का विस्तार 31.03.12 तक प्रस्तुत किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	सिविल कार्य पूर्ण नहीं थे।
18.	नर्मदा मुख्य नहर के बालेरा वितरिका कि बांडिया, टेल माईनर तथा नलधार सब-माईनर के सिंचित क्षेत्र के लिए अर्द्ध स्थायी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रवर्तन तथा विद्युत जनित मोटर सहित।	21.02.2010	20.11.2010	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. ने समय का विस्तार 31.03.12 तक प्रस्तुत किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	सिविल कार्य पूर्ण नहीं थे।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.1.2.3; पृष्ठ 47)

विश्लेषित नमूने एवं उनके परिणामों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

सीईटीपी	नमूने लेने की अवधि	नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या	सफल नमूनों की संख्या	मानक जो पूरे नहीं किये गये
सीईटीपी-I, पाली	3.8.2012 to 18.6. 2015	53	44	09	टीएसएस,सीओडी, बीओडी
सीईटीपी-II, पाली	3.8. 2012 to 9.1. 2016	60	51	09	टीएसएस,सीओडी, बीओडी
सीईटीपी-III, पाली	3.8. 2012 to 8.9. 2015	59	49	10	टीएसएस,सीओडी, बीओडी
सीईटीपी-IV, पाली	3.8. 2012 to 9.1. 2016	64	62	02	टीएसएस,सीओडी, बीओडी, तेल व ग्रीज
सीईटीपी-VI, पाली	8.9. 2015 to 9.1. 2016	04	04	00	टीएसएस,सीओडी, बीओडी
योग		240	210	30	

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.6; पृष्ठ 92)

जारी कार्यदिशा, व्यय, संवेदकों को भुगतान की गई मूल्यवृद्धि का कार्यवार विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्यदिशा संख्या	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	कार्य पूर्ण होने की राशि	मूल्यवृद्धि की राशि
1.	लेक्चर थियेटर का निर्माण	मैसर्स सैयद लुकमान एंड सन्स	01/2012-13	अ.अ.एम/जेयू/11-12/05 दिनांक 5.4.2012	15.4.2012	14.01.2013	6.4.2015	1,27,62,605	2,02,116
2.	एम डी एम अस्पताल मे पी.जी. हॉस्टल का निर्माण	मैसर्स आनन्दी लाल लालपुरिया	116/2011-12	अ.अ.एम/जेयू/11-12/1651 दिनांक 29.3.2012	8.4.2012	7.10.2013	कार्य प्रगतिरत	10,38,02,343	8,87,613
3.	एम डी एम अस्पताल मे आपातकालीन व ओपीडी का निर्माण	मैसर्स आनन्दी लाल लालपुरिया	16/2011-12	अ.अ.एम/पी.डब्ल्यू.डी. मेडिकल डिवीजन जेयू/365 दिनांक 5.9.2011	15.9.2011	14.12.2012	जनवरी 2016	8,83,35,737	13,26,003
4.	एम डी एम अस्पताल मे यू.जी. लड़कों के हॉस्टल भवन का निर्माण	मैसर्स जय कंस्ट्रक्शन कंपनी	117/2011-12	अ.अ.एम/पी.डब्ल्यू.डी. मेडिकल डिवीजन जेयू/1661 दिनांक 30.3.2011	9.4.2012	8.04.2013	25.8.2015	2,73,56,888	3,23,007
5.	एम डी एम अस्पताल मे मातृ एवं शिशु विंग का निर्माण (स्त्रीरोग की ओपीडी व शिशुओं के लिये आपातकालीन सेवा)	मैसर्स नीवन इन्फ्रा, मुम्बई	09/2011-12	अ.अ.एम/पी.डब्ल्यू.डी. मेडिकल डिवीजन जेयू/09/2011-12	18.7.2011	17.10.2012	30.9.2013	10,74,57,285	32,90,597
6.	एम डी एम अस्पताल मे मातृ एवं शिशु विंग का निर्माण (ओ.टी., कॉमन नर्सिंग व लेबर रूम तथा तीन मंजिल के लिये दो मंजिल ओ.टी.)	मैसर्स आनन्दी लाल लालपुरिया	10/2011-12	अ.अ.एम/पी.डब्ल्यू.डी. मेडिकल डिवीजन जेयू/162 दिनांक 8.7.2011	18.7.2011	17.10.2012	30.9.2013	10,49,13,921	29,88,875
7.	के.एन. चेस्ट अस्पताल, जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान का निर्माण	मैसर्स फजलर रहमान	17/2011-12	अ.अ.एम/पी.डब्ल्यू.डी. मेडिकल डिवीजन जेयू/400 दिनांक 10.9.2011	20.9.2011	19.07.2012	23.12.2013	6,20,79,366	11,73,880
योग									1,01,92,091

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.6; पृष्ठ 92)

कार्यों का विवरण जिनमें संवेदक द्वारा स्पान वार्डज प्रगति संधारित नहीं की

लेक्चर थियेटर का निर्माण

समय अवधि	I 15.04.2012 to 21.05.2012	II 22.05.2012 to 29.08.2012	III 30.08.2012 to 6.11.2012	IV 7.11.2012 to 14.1.2013
कार्य जो किया जाना था	19,67,020	59,01,062	1,18,02,123	1,57,36,165
कार्य जो किया गया	-	37,87,864	45,60,561	1,15,80,195
कार्य जो नहीं किया गया	19,67,020	21,22,198	34,58,438	41,55,970
क्षतिपूर्ति की राशि	49,176	1,06,110	2,59,383	4,15,597
कुल क्षतिपूर्ति				8,30,266

एम डी एम अस्पताल में पी.जी. हॉस्टल का निर्माण

समय अवधि	I 8.04.2012 to 23.08.2012	II 24.08.2012 to 07.01.2013	III 8.01.2013 to 24.05.2013	IV 25.05.2013 to 7.10.2013
कार्य जो किया जाना था	1,30,54,730	3,91,64,191	7,83,28,382	10,44,37,843
कार्य जो किया गया	3,10,69,720	5,34,09,599	7,41,50,768	8,42,08,722
कार्य जो नहीं किया गया	-	-	41,77,614	2,02,29,121
क्षतिपूर्ति की राशि	-	-	3,13,321	20,22,912
कुल क्षतिपूर्ति				23,36,233

एम डी एम अस्पताल में आपातकालीन व ओपीडी का निर्माण				
समय अवधि	I 15.09.2011 to 6.01.2012	II 7.01.2012 to 29.04.2012	III 30.04.2012 to 21.08.2012	IV 22.08.2012 to 14.12.2012
कार्य जो किया जाना था	1,04,51,335	3,13,54,004	6,27,08,007	8,36,10,676
कार्य जो किया गया	65,23,019	1,17,47,452	1,91,41,118	1,91,41,118
कार्य जो नहीं किया गया	39,28,316	1,96,06,552	4,35,66,889	6,44,69,558
क्षतिपूर्ति की राशि	98,208	9,80,328	32,67,517	64,46,957
कुल क्षतिपूर्ति जो कायदेश के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी				83,61,068

एम डी एम अस्पताल में यू.जी. लड़कों के हॉस्टल भवन का निर्माण				
समय अवधि	I 9.04.2012 to 08.07.2012	II 09.07.2012 to 07.10.2012	III 8.10.2012 to 06.01.2013	IV 07.01.2013 to 8.04.2013
कार्य जो किया जाना था	40,90,756	1,22,72,267	2,45,44,533	3,27,26,045
कार्य जो किया गया	52,23,282	1,24,36,933	1,83,65,160	2,43,08,359
कार्य जो नहीं किया गया	-	-	61,79,373	84,17,686
क्षतिपूर्ति की राशि	-	-	4,63,453	8,41,769
कुल क्षतिपूर्ति				13,05,222

एम डी एम अस्पताल में मातृ एवं शिशु विंग का निर्माण (स्त्री रोग की ओपीडी व शिशुओं के लिये आपातकालीन सेवा)				
समय अवधि	I 18.07.2011 to 8.11.2011	II 9.11.2011 to 1.03.2012	III 2.03.2012 to 24.06.2012	IV 25.06.2012 to 17.10.2013
कार्य जो किया जाना था	1,48,24,000	4,44,72,000	8,89,45,000	11,85,93,000
कार्य जो किया गया	53,95,000	4,47,66,000	5,86,76,000	7,02,06,000
कार्य जो नहीं किया गया	94,29,000	-	3,02,69,000	4,83,87,000
क्षतिपूर्ति की राशि	2,35,725	-	22,70,175	48,38,700
कुल क्षतिपूर्ति				73,44,600

एम डी एम अस्पताल में मातृ एवं शिशु विंग का निर्माण (ओ.टी., कॉमन नर्सिंग व लेबर रूम तथा तीन मंजिल के लिये दो मंजिल ओ.टी.)

समय अवधि	I 18.07.2011 to 08.11.2011	II 09.11.2011 to 02.03.2012	III 3.03.2012 to 24.06.2012	IV 25.06.2012 to 17.10.2012
कार्य जो किया जाना था	1,45,63,036	4,36,89,109	8,73,78,218	11,65,05,106
कार्य जो किया गया	2,03,69,981	4,06,02,525	5,34,23,923	6,60,05,106
कार्य जो नहीं किया गया	-	30,86,584	3,39,54,295	5,04,99,185
क्षतिपूर्ति की राशि	-	1,54,329	25,46,572	50,49,919
कुल क्षतिपूर्ति जो कार्यदिश के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी				75,96,491

के.एन. चेस्ट अस्पताल, जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान का निर्माण

समय अवधि	I 20.09.2011 to 4.12.2011	II 5.12.2011 to 17.02.2012	III 18.02.2012 to 4.05.2012	IV 5.05.2012 to 19.07.2012
कार्य जो किया जाना था	79,61,123	2,38,83,370	4,77,66,740	6,36,88,987
कार्य जो किया जाना था	69,46,786	2,63,78,910	3,33,46,004	3,92,20,140
कार्य जो किया गया	10,14,337	-	1,44,20,736	2,44,68,847
कार्य जो नहीं किया गया	25,358	-	10,81,555	24,46,885
कुल क्षतिपूर्ति जो कार्यदिश के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी				35,51,798
क्षतिपूर्ति का कुल योग				3, 13, 25,678

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.6; पृष्ठ 93)

संवेदको को अनुबन्ध के क्लॉज 2 व 3 के अन्तर्गत किये गये क्षतिपूर्ति के भुगतान का विवरण

क्लॉज 2 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति

(₹ लाखों में)

अवधि	प्रथम अवधि तक		द्वितीय अवधि तक		तृतीय अवधि तक		चतुर्थ अवधि तक		योग	योग	योग				
	6.11.2011	9.1.2012	14.12.2011	24.2.2012	21.1.2012	9.4.2012	29.2.2012	24.5.2012							
पैकेज	11-05	11-04	10-03	11-05	11-04	10-03	11-05	11-04	10-03	11-05	11-04	10-03			
कार्य जो किया जाना था	17.97	17.00	78.73	53.91	50.99	157.96	107.81	101.99	177.15	143.75	135.98	236.19			
कार्य जो किया गया	-	-	-	-	15.65	20.80	22.11	29.15	20.80	42.91	39.70	20.80			
कार्य जो नहीं किया गया।	17.97	17.00	78.73	53.91	35.34	137.16	85.70	72.84	156.35	100.84	96.28	215.39			
क्षतिपूर्ति का प्रतिशत	2.5		2.5	5		5	7.5		7.5	10		10			
क्षतिपूर्ति	0.45	0.42	1.97	2.70	1.77	6.86	6.43	5.46	11.73	10.08	9.63	21.54	19.66	17.28	42.10
कुल कार्य के 10 प्रतिशत तक सीमित												14.38	13.60	23.62	
कुल योग												51.60			
क्लॉज 3 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति															
पैकेज का नाम			11-05		11-04		10-03						योग		
कार्य जो नहीं किया गया।			103.51		92.10		198.94								
टेन्डर प्रीमियम का अन्तर (प्रतिशत में)			32.05		36.75		25.72								
क्षतिपूर्ति की राशि			33.17		33.85		51.17						118.19		

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.7; पृष्ठ 94)

ग्रामीण गौरव पथ योजना के अन्तर्गत मिट्टी की खुदाई, जीएसबी व डब्ल्यू.बी.एम. को शामिल करने वाले कार्यों का विवरण

क्र. स.	खण्ड का नाम	पैकेज का नाम	खोदी गई मिट्टी	जी.एस.बी.	डब्ल्यू.बी.एम	योग	
1.	मेड़ता सिटी	आर जे-24-03/5054/जीजीपी/पी/2014-15		1486.93 @ ₹ 516.00 = ₹7,67,255.88	1402.777 @ ₹ 1136.00 = ₹15,93,554.67 1110.277 @ ₹1193.00 = ₹13,24,560.46	36,85,371.01	
					(-)टेन्डर प्रीमियम	22.87 प्रतिशत	(-) 8,42,844.35
योग						28,42,527.00	

1.	नागपुर	आर जे-24-01/5054/जीजीपी/पी /2014-15	20621.64 @ ₹ 32.00 = ₹6,59,892		5010.50 @ ₹ 1136.00 = ₹56,91,928.00 5010.50 @ ₹ 1193.00 = ₹59,77,526.00	1,23,29,346	
					(-)टेन्डर प्रीमियम	16.71 प्रतिशत	(-) 20,60,234.00
योग						1,02,69,112.00	

1.	राजाखेड़ा	आर जे-3-02/5054/जीजीपी/पी /2014-15	3106.25 cum @ ₹ 57.00 = ₹1,77,056	6813.57 cum @ ₹ 448.00 = ₹ 30,52,479	4688.66 cum @ ₹ 1252.00 = ₹ 58,70,202	90,99,737	
					टेन्डर प्रीमियम	18.54 प्रतिशत	16,87,091
योग						74,12,646.00	
कुल योग						2,05,24,285.00	

